



The Bihar Nurses Registration (Amendment) Act, 2026

Act No. 17 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1948 (श10)
(सं० पटना 919) पटना, सोमवार, 3 अगस्त 2026

विधि विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-16/2026-6285/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

[बिहार अधिनियम 17, 2026]

बिहार नर्सिंग पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026

बिहार एवं उड़ीसा नर्सिंग पंजीकरण अधिनियम, 1935 में संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में, बिहार राज्य के विधानमंडल निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—

- (1) इस अधिनियम को 'बिहार नर्सिंग पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2026' कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. धारा-2 का संशोधन।— बिहार एवं उड़ीसा नर्सिंग पंजीकरण अधिनियम, 1935 (जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा-2 में उप-धारा (I) के बाद निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जायेगी, जो इस प्रकार है :-

“(m) स्व-प्रमाणन का अर्थ है भारतीय नर्सिंग परिषद या बिहार राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य की नर्सिंग परिषद में पंजीकृत नर्स, स्वास्थ्य आगन्तुक, दाई, प्रशिक्षित दाई द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र।”

अध्याय-2

3. एक नई धारा 10A का अंतःस्थापन।— मूल अधिनियम की धारा, 10 के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जायेगी जो इस प्रकार है:-

“10A-स्व-प्रमाणन के आधार पर अभ्यास करने हेतु—

- (1) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी नर्स, स्वास्थ्य आगन्तुक, दाई, प्रशिक्षित दाई जिसका नाम भारतीय नर्सिंग परिषद् या किसी अन्य राज्य नर्सिंग परिषद् के रजिस्टर में वैध रूप से पंजीकृत है, बिहार राज्य में कानूनी रूप से नर्सिंग अभ्यास करने की हकदार होगी, बिना किसी स्थानीय पंजीकरण या पूर्ववर्ती राज्य नर्सिंग परिषद् से अनापति प्रमाण पत्र की आवश्यकता के, बशर्ते कि वह परिषद् को स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करे।”
- (2) परिषद् स्व-प्रमाणन के आधार पर राज्य में कार्यरत नर्सों, स्वास्थ्य आगन्तुकों और दाईयों से संबंधित एक रजिस्टर का संकलन करेगी।
- (3) परिषद् को स्व-प्रमाणन मॉडल के तहत काम करने वाले किसी भी कर्मियों के बिहार राज्य के भीतर अभ्यास करने के अधिकार को निलंबित करने का अधिकार होगा, यदि वह पेशेवर कदाचार का दोषी पाया जाता है।
- (4) जहाँ किसी कार्मिक के अभ्यास का अधिकार इस धारा की उपधारा (3) के तहत निलंबित किया जाता है, तो ऐसे निलंबन को इस धारा की उपधारा (2) के तहत संधारित रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा और मूल विभाग या राज्य नर्सिंग परिषद् या भारतीय नर्सिंग परिषद् को सूचित किया जायेगा।

बशर्ते कि इस धारा के स्व-प्रमाणन प्रावधानों के तहत राज्य में वैध रूप से अभ्यास करने वाली कोई भी नर्स, स्वास्थ्य आगन्तुक या दाई को इस अधिनियम की धारा-21 के प्रयोजनों के लिए पंजीकृत नर्स, स्वास्थ्य आगन्तुक या दाई माना जायेगा।

4. धारा-17 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (2) में, विद्यमान खण्डों के अंत में, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, जो इस प्रकार है:-

(f) किसी अन्य राज्य नर्सिंग परिषद् या भारतीय नर्सिंग परिषद् में पंजीकृत नर्सिंग कर्मियों द्वारा स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप, प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश और प्रशासनिक तंत्र निर्धारित करने की शक्ति विशेष रूप से राज्य सरकार में निहित होगी।

5. निरसन एवं व्यावृत्ति।—

- (1) बिहार नर्सज पंजीकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (अध्यादेश सं०-02, 2026) एतद् द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

3 अगस्त 2026

सं० एल०जी०-01-16/2026-6286/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 अगस्त 2026 को अनुमत बिहार नर्सज पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार अधिनियम 17, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बासनों शंकर मेहरोत्रा,
सरकार के विशेष सचिव।

[Bihar Act 17, 2026]

THE BIHAR NURSES REGISTRATION (AMENDMENT) ACT, 2026

AN

ACT

to amend the Bihar and Orissa Nurses Registration Act, 1935.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Seventh year of the Republic of India as follows :-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title, extent and commencement.-

- (1) This Act may be called the Bihar Nurses Registration (Amendment) Act, 2026.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force from the date of publication in the official gazette.

2. Amendment of section 2.— In section 2 of the Bihar and Orissa Nurses Registration Act, 1935 (hereafter in this act referred to as the principal Act) after sub-section (l), the following sub-section shall be inserted, which is as follows:—

- (m) “Self-certification means a certificate submitted by a nurse, health visitor, midwife, trained dai or dai registered with the Indian Nursing Council or with the Nursing Council of any State other than the State of Bihar, in the format as prescribed by the State Government.”

CHAPTER II

3. Insertion of new section 10A.—After section 10 of the principal Act the following section shall be inserted, which is as follows:—

“10A- Practice on submission of self-certification:—

- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, any nurse, health visitor, or midwife whose name is validly entered in the register of the Indian Nursing Council or any other State Nursing Council, shall be entitled to lawfully practice in the State of Bihar, without requiring a No Objection Certificate (NOC) from the previous state nursing council or fresh local registration, provided that they submit a self-certification to the council.
- (2) The council shall maintain a register of nurses, health visitors, and midwives practicing in the state on the basis of self-certification.
- (3) The Council shall have the power to suspend the right to practice within the State of Bihar for any personnel operating under the self-certification model who is found guilty of professional misconduct.
- (4) Where the right to practice of any personnel is suspended under sub-section (3) of this section, such suspension shall be marked in the register maintained under sub-section (2) of this section and shall be communicated to the parent department or state nursing council or Indian Nursing Council.

Provided that Any nurse, health visitor, or midwife lawfully practicing in the state under the self-certification provisions of this section shall be treated as a registered nurse, health visitor, or midwife for the purposes of section 21 of this Act.”

4. Amendment of section 17 :- In section 17 of the principal Act, in sub-section (2), after the existing clauses, the following clause shall be inserted, which is as follows:—

“(f) to determine the format, procedural guidelines, and the administrative mechanism for the submission of self-certification by nursing personnel registered in any other State Nursing Council or the Indian Nursing Council, the power to prescribe which shall be vested exclusively in the State Government.”

5. Repeal and Savings.-

- (1) The Bihar Nurses Registration (Amendment) Ordinance, 2026 (Ordinance No. - 02, 2026) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be

deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

BASNO SHANKER MEHROTRA,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 919-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>